IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 8, March 2026
Impact Factor: 8.2

y?kq m|ksx esa oLrq ,oa lsok dj dk miHkksDrk vuqikyu ij izHkko

T;ksfr flag

शोधार्थी, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं वित्तीय अध्ययन, एकेएस विश्वविद्यालय, सतना (म.प्र.)

Mk- /khjsUnz vk>k

शोध निर्देशक, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं वित्तीय अध्ययन, एकेएस विश्वविद्यालय, सतना (म.प्र.)

'kks/k lkjka'k %&

वर्तमान में भारत का अप्रत्यक्ष कर का ढांचा अत्यंत पेचीदा है। केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर तरह–तरह के अप्रत्यक्ष कर लगाए जाते हैं। ये सभी कर संविधान के दायरे में लगते हैं। गौरतलब है कि संविधान में केन्द्र और राज्यों के बीच आर्थिक शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा किया गया है, जिसके अनुसार सीमा कर, शराब और स्थानीय स्तर पर बनने वाले कुछ उत्पादों पर उत्पाद शुल्क को छोड़कर शेष सभी प्रकार के उत्पाद शुल्क लगाने का अधिकार केन्द्र सरकार के पास है। उसके अलावा केन्द्र सरकार पिछले लगभग 15 वर्षों से सेवा कर भी लगा रही है। उधर राज्य सरकारों के पास बिक्री कर, मनोरंजन कर, स्टाम्प ड्यूटी, बिजली के उपभोग, माल और यात्रियों के परिवहन इत्यादि पर कर लगाने का अधिकार है। जीएसटी लागू होने के बाद कुछ एक अपवादों को छोड़कर शेष सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष कर जीएसटी में विलीन हो गये हैं।

'kCn cht %& लघु, उद्योग, वस्तु, सेवा, कर, उपभोक्ता, अनुपालन, प्रभाव, उत्पादन आदि।

izLrkouk %&

जीएसटी उपभोग आधारित कर है। यह अंतिम पड़ाव के सिद्धांत पर आधारित है। जहां वस्तु और सेवा का अंतिम पड़ाव यदि उपभोग होता है, वहीं पर यह कर लगता है। हालांकि वस्तु और सेवा के उत्पादन (मूल्य संवर्धन) के हर स्तर पर जीएसटी वसूला जाता है और हर अगले पड़ाव में पिछले पड़ावों पर दिए गए कर को टैक्स क्रेडिट के रूप में लिया जाता है। पूर्ति की कड़ी के अंतिम पड़ाव यानि उपभोक्ता से पूरा जीएसटी वसूला जाता है और वह राजस्व में जमा किया जाता है।

पूरे देश में वस्तुओं और सेवाओं पर विभिन्न प्रकार के तमाम करों को समाप्त करते हुए, जीएसटी (वस्तु एवं सेवाकर) के नाम से एक ही कर लागू करने का नीति–निर्माताओं का सपना तब पूरा हो गया जब राज्यसभा ने 4 अगस्त को इस बिल को अपनी मंजूरी दे दी। गौरतलब है कि विपक्ष के विरोध के चलते राज्यसभा में जीएसटी बिल को पारित करना असंभव दिखाई दे रहा था। मगर सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच सहमति होने से जीएसटी के रास्ते में रुकावटें खत्म हो गईं। लोकसभा में इसे पारित करना महज एक औपचारिकता ही बच गई थी, जो बाद में पूरी हो गई। गौरतलब है कि विपक्ष जीएसटी विधेयक में कर की अधिकतम दर को शामिल करवाना चाहता था, जबकि सरकार का तर्क यह था कि संविधान में कर की दर शामिल करना औचित्यपूर्ण नहीं है। इसके अलावा विपक्ष की यह भी मांग थी कि प्रस्तावित एक प्रतिशत अतिरिक्त कर को हटाया जाना

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 8, March 2026
Impact Factor: 8.2

चाहिए। सरकार ने विपक्ष की दूसरी मांग को स्वीकार कर लिया, जबकि विपक्ष ने सत्ता पक्ष के तर्क को स्वीकार करते हुए जीएसटी की अधिकतम सीमा का अपना आग्रह छोड़ दिया।

'kks/k i)fof/k %&

अध्ययन के लिए प्रयुक्त विधि गुणात्मक है। इसके अन्तर्गत सूक्ष्म, लघु उद्योग तथा सेवा क्षेत्र में वस्तु एवं सेवा कर का समायोजन जिसका प्रभाव उपभोक्ताओं पर अप्रत्यक्ष पड़ता है का विवेचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत है। अध्ययन का प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न समकालीन प्रासंगिक मानकों को प्रभावित करने वाले स्रोतों को दृष्टिगत रखते हुए विषय का विश्लेषण और विवेचन किया गया है।

dk;Z.kkyh %&

यह अध्ययन एक गुणात्मक कार्यप्रणाली का उपयोग करता है जिसमें वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क, वित्त मंत्रालय, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय और वस्तु एवं सेवा कर परिषद जैसे आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त द्वितीयक आँकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। इसमें एनआईपीईपी जैसे संगठनों जैसी परामर्श फर्मों की रिपोर्ट से प्राप्त जानकारियाँ भी शामिल हैं। यह शोध वस्तु एवं सेवा कर के मध्य–2017 में लागू होने से लेकर 2025 तक की अवधि को कवर करता है।

lsok dj u;s nkSj dk u;k i;kZx &

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम अधिनियम) को लागू करने हेतु श्री विजय केलकर की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स बनाई थी। प्रत्यक्ष करों संबंधी सिफारिशों के अलावा टास्क फोर्स ने केन्द्रीय स्तर पर अप्रत्यक्ष करों जैसे सेनवेट, सेवा कर इत्यादि के स्थान पर एकल कर यानि वस्तु सेवा कर लगाने की सिफारिश की। विजय केलकर टास्क फोर्स ने इस संदर्भ में बड़ी सौदेबाजी (ग्रैंड बारगेन) का सुझाव दिया, जिसके अनुसार केन्द्र और राज्यों को एक साथ वस्तु एवं सेवा कर लगाने का अधिकार देने की बात की गई। चूंकि केन्द्र और राज्यों के बीच विभिन्न करों को लगाने के अधिकार का विभाजन हमारे संविधान में पहले से ही है, इसलिए इसमें इस प्रकार के बदलाव के लिए संविधान में संशोधन जरूरी था, ताकि केन्द्र और राज्यों, दोनों को जीएसटी वसूल पाने का संवैधानिक अधिकार मिले।

राज्यों को यह डर था कि कुछ ऐसे कर हैं, जिनसे उन्हें खासी आमदनी प्राप्त होती है और यदि वे भी प्रस्तावित जीएसटी में विलीन हो जायेंगे तो उनका राजस्व प्रभावित हो सकता है। ऐसे में राज्यों की मांग पर कुछ करों को जीएसटी में अलग रखा गया, जैसे राज्यों द्वारा लगाया जा राह आबकारी कर (शराब इत्यादि पर), पेट्रोलियम उत्पादों पर बिक्री कर इत्यादि को जीएसटी की परिधि से बाहर रखा गया है। जीएसटी की खास बात यह है कि अब राज्यों को भी सेवाओं पर कर लगाने का अधिकार मिल गया है।

जीएसटी उपभोग आधारित कर है। यह अंतिम पड़ाव के सिद्धांत पर आधारित है। जहां कहीं वस्तु और सेवा का अंतिम पड़ाव यानि उपभोग होता है, वहीं पर यह कर लगता है। हालांकि वस्तु और सेवा के उत्पादन (मूल्य संवर्धन) के हर स्तर पर जीएसटी वसूला जाता है और हर अगले पड़ाव में पिछले पड़ावों पर दिए गए करों को टैक्स क्रेडिट के रूप में लिया जाता है। पूर्ति की कड़ी के अंतिम पड़ाव यानि उपभोक्ता से पूरा जीएसटी वसूला जाता है और उसे राजस्व में जमा किया जाता है।

vu|ikyu &

भारत में जहां छोटे–छोटे दुकानदार/व्यापारी और कुटीर उद्योग बहुतायत में हैं, जीएसटी का अनुपालन वर्तमान में अत्यंत कठिन जान पड़ता है। अभी तक एक तरफ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमाकर है और दूसरी तरफ राज्य बिक्री कर, उत्पाद शुल्क इत्यादि की कई प्रकार की दरें पाई जाती हैं। राज्यों के बीच भी कर दरों में खासी भिन्नता पाई जाती है। जैसा कि प्रारंभ में यह सुझाव आया था कि अलग प्रकार की वस्तुओं/सेवाओं के लिए अलग–अलग दरें होंगी तो अनुपालन कठिन होगा। लेकिन यदि एक ही दर सभी वस्तुओं पर लागू होगी तो आवश्यक वस्तुओं, विलासिता की वस्तुओं और निकृष्ट वस्तुओं के बीच कोई भेद भी नहीं रहेगा, जो कर सिद्धांतों के अनुकूल नहीं होगा।

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान ने प्रारंभ में जीएसटी के लिए 27 प्रतिशत की दर का सुझाव दिया था। कुछ समय पहले संस्थान ने पुनराकलन करते हुए कहा था कि मानक दर 23 से 25 प्रतिश्ता के बीच में हो सकती है, जब वस्तुओं पर तीन दरों से कर लगेंगे, जिसमें कुछ विशेष वस्तुओं पर मानक दर लागू होगी; और यदि एक ही दर पर जीएसटी लगाया जाता है तो जीएसटी की दर 18 से 19 प्रतिशत हो सकती है। उधर भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने अधिकतर वस्तुओं पर मानक जीएसटी दर 17 से 18 प्रतिशत रखने और जीएसटी की तीन दरों का सुझाव दिया है। उनका आवश्यक वस्तुओं पर 12 प्रतिशत, विलासिता की वस्तुओं पर 40 प्रतिशत और बाकी वस्तुओं पर 17 से 18 प्रतिशत तथा सभी सेवाओं पर 17 से 18 प्रतिशत कर का सुझाव है। ऐसा माना जाता है कि 17 से 18 प्रतिशत से ज्यादा जीएसटी लगाने से सरकार का राजस्व तो बढ़ सकता है, लेकिन यह कदम मंहगाई बढ़ाने वाला अलोकप्रिय कदम साबित होगा। सरकार भी यह नहीं चाहेगी कि जीएसटी प्रारंभ से ही विवादों के घेरे में आ जाए, इसलिए ऐसा लगता है कि सरकार 19 से 20 प्रतिशत जीएसटी लागू करने का प्रयास करेगी।

dUn&jkT; lac/k rknkE; &

जैसा कि स्पष्ट है कि केन्द्र और राज्यों द्वारा लगाए जा रहे वस्तुओं और सेवाओं पर तमाम प्रकार के कर जीएसटी में विलीन हो जाएंगे, जिसके कारण काफी तादाद में राजस्व पर प्रभाव पड़ने का भी अंदेशा है। संविधान में राज्यों के दायित्व उनके राजस्व की तुलना में कहीं ज्यादा है। हालांकि वित्त आयोग द्वारा राज्यों के वित्त को विभिन्न प्रकार से पोषित करने का प्रयास होता है, लेकिन अचानक सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष कर जीएसटी में विलीन होने से राज्यों पर यह खतरा मंडरा रहा है कि कहीं उनका राजस्व कम न हो जाए। राज्यों को इस हेतु आश्वस्त करने की दृष्टि से सरकार ने अगले पांच वर्ष में जीएसटी लागू होने के बाद राजस्व में होने वाले नुकसान की पूरी भरपाई करने का वचन दिया है। हालांकि इस हेतु राज्य आश्वस्त तो हो गए हैं, लेकिन अधिक राजस्व वाले करों जैसे पेट्रोलियम आदि पर कर को वो किसी भी हालत में छोड़ने के लिए तैयार नहीं है।

जीएसटी के प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के संबंध में यह तर्क दिया जाता है कि देश में तरह–तरह के अप्रत्यक्ष करों के कारण वस्तुओं की कीमतें बेजा ही बढ़ जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विभिन्न स्तरों पर कर लगने से बार–बार वस्तु पर कर लगता है। उदाहरण के लिए यदि कोई वस्तु उपभोक्ता तक पहुंचने से पहले कई प्रकार की प्रक्रियाओं से गुजरती है, तो हर स्तर पर कर लगाया जाता है। उत्पादक और व्यापारी उपभोक्ता से केवल कर जितनी राशि ही नहीं वसूलते बल्कि उस पर लाभ भी उपभोक्ता से ही वसूला जाता है। मूल्यवर्धित कर प्रणाली इस समस्या का समाधान तो है, लेकिन सीमित रूप से, क्योंकि बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, सेवा कर समेत अलग–अलग प्रकार के कर तो लगते ही हैं।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 8, March 2026 Impact Factor: 8.2

विश्व बैंक ने जीएसटी को एक गेम चेन्जिंग आर्थिक सुधार कहा है। माना जाता है कि जीएसटी का सबसे ज्यादा लाभ बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को होगा, क्योंकि वे अपने लेखा पद्धति (एकाउंटिंग सिस्टम) के कारण विभिन्न करों के विलीन होने का लाभ ज्यादा अच्छी तरह से उठा पाएंगी। इसलिए बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाभ होते देख विश्व बैंक का प्रसन्न होना स्वाभाविक ही है, लेकिन जब हम छोटे उद्योगों की बात सोचते हैं तो उन्हें फायदा होता नहीं दिख रहा। छोटे उद्योगों को अभी तक 1.5 करोड़ रुपये तक के उत्पादन पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त थी। अब लघु उद्योगों और लघु व्यवसायों पर यह छूट मात्र 20 लाख रखने का प्रस्ताव है। ऐसे में जीएसटी में छूट की सीमा 20 लाख होने के कारण, संभव है कि लघु उद्योगों की बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्द्धा गैर–बराबर हो जाए। ऐसे में उनका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जायेगा। लघु उद्योगों व लघु व्यवसायों की सुरक्षा हेतु सरकार क्या करेगी, यह भी स्पष्ट नहीं हुआ है। ऐसे में जीएसटी बड़ो को लाभ और छोटों को नुकसान पहुंचाने वाला कदम साबित हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि जीएसटी में छोटे उद्योगों को बचाने हेतु उचित संशोधन किए जाएं।

देश में जीएसटी को लागू करने की पेचीदगियों को देखते हुए, यह जरूरी है कि इस हेतु केन्द्र और राज्य सरकारों के स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी का संरचनात्मक ढांचा और सेवाओं की उपलब्धता हो। इस बावत केन्द्र सरकार ने कुछ वर्ष पहले बिना लाभ के उद्देश्य वाली जीएसटी नेटवर्क नाम की एक कंपनी का गठन किया था, जिसमें केन्द्र और राज्य सरकारों के अलावा गैर सरकारी वित्तीय संस्थानों के भी शेयर होंगे। इस बावत कई अर्थशास्त्रियों द्वारा यह आशंका भी व्यक्त की जा रही है कि करोड़ों कर दाताओं की जानकारियां इस कंपनी के पास होने के कारण इसका दुरुपयोग हो सकता है, क्योंकि यह कंपनी निजी हाथों में होगी। उनका यह भी कहना है कि इस कंपनी का निजी हाथों में होना सही नहीं है और इसे सरकारी कंपनी के रूप में होना चाहिए, जिसके अंकेक्षण का अधिकार भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण के पास हो।

हालांकि वित्तमंत्री का कहना है कि पहली अप्रैल 2017 से जीएसटी लागू हो जायेगा, लेकिन जानकार इस बात से सहमत नहीं हैं। जीएसटी लागू करने के लिए आवश्यक तैयारी हेतु कुछ और समय आवश्यक होगा। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने भी कहा था कि 2017 से इसे लागू करना चुनौतीपूर्ण होगा।

यह सही है कि जीएसटी लागू होने से कर प्रबंधन में कुशलता आएगी और सरकार को राजस्व का लाभ भी मिलेगा। करों की चोरी कम होगी और अकुशल कर प्रणाली के कारण अनावश्यक रूप से कीमतें बढ़ने की प्रवृत्ति भी कम होगी, लेकिन सरकार को जीएसटी लागू होने के बाद लघु उद्योगों और लघु व्यवसायियों के हितों का संरक्षण सुनिश्चित करने का पूरा ध्यान रखना होगा।

केन्द्र एवं राज्य सरकारों के मध्य सामन्जस्यपूर्ण डिजिटल नीति में एक नये युग में वस्तु कर को प्रवेश दिया है। यह दोहरे जीएसटी मॉडल को अपनाया, जिसमें केंद्र (केंद्रीय जीएसटी या सीजीएसटी) और राज्य (राज्य जीएसटी या एसजीएसटी) दोनों एक ही लेनदेन पर एक साथ कर लगाते हैं, भारत के संघीय ढाँचे को दर्शाता है। एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) अंतर–राज्यीय लेनदेन और आयात पर लागू होता है। यह मॉडल केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व बंटवारे को सुनिश्चित करता है और साथ ही पूरे देश में एकरूपता बनाए रखता है।

इनपुट जीएसटी व्यवस्था ने कर बाधाओं को दूर करने, लॉजिस्टिक्स लागत में कमी, 'टैक्स क्रेडिट तंत्र में' सुधार और पारदर्शिता बढ़ाने सहित कई लाभों का वादा किया था, लेकिन जमीनी हकीकत विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों और राज्यों पर इसके अलग–अलग प्रभाव दर्शाती है। यह बदलाव सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), सेवा प्रदाताओं और अंतिम उपभोक्ताओं

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 8, March 2026 Impact Factor: 8.2

के लिए विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण रहा है, जिनमें से कई के पास जीएसटी की जटिल अनुपालन आवश्यकताओं के साथ सहज रूप से अनुकूलन करने के लिए बुनियादी ढाँचे, ज्ञान या संसाधनों का अभाव है।

एक प्रमुख चुनौती डिजिटल साक्षरता और निरंतर इंटरनेट पहुँच की आवश्यकता है, जो समय पर रिटर्न दाखिल करने, इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने, ई–इनवॉइस बनाने और नियामक परिवर्तनों के साथ अद्यतन रहने के लिए आवश्यक हैं। कई छोटे व्यवसायों, विशेष रूप से अर्ध–शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित व्यवसायों के लिए, इससे कर सलाहकारों या तृतीय–पक्ष सेवा प्रदाताओं पर निर्भरता बढ़ गई है, जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है।

सेवा क्षेत्र को भी कई महत्वपूर्ण समायोजनों का सामना करना पड़ा है, जिनमें बहु– राज्य पंजीकरण मुद्दे, मिश्रित और मिश्रित आपूर्ति का वर्गीकरण, और आपूर्ति के स्थान के निर्धारण में अस्पष्टता शामिल है। इसके अतिरिक्त, उपभोक्ता – हालांकि अनुपालन प्रक्रिया में सीधे तौर पर शामिल नहीं हैं ने कीमतों में उतार–चढ़ाव, उत्पाद और सेवा की उपलब्धता में बदलाव, और व्यावसायिक प्रथाओं के आधार पर चालान में पारदर्शिता में सुधार या कमी के माध्यम से जीएसटी के प्रभावों को महसूस किया है।

मध्य प्रदेश, अपने विविध आर्थिक परिदृश्य के साथ, जीएसटी के वास्तविक दुनिया के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए एक अनूठा मामला प्रस्तुत करता है। राज्य की विशेषता एक बढ़ती हुई लेकिन बड़े पैमाने पर अनौपचारिक अर्थव्यवस्था, छोटे पैमाने के निर्माताओं की मजबूत उपस्थिति और पर्यटन, परिवहन, निर्माण, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा सहित एक महत्वपूर्ण सेवा क्षेत्र है। इसके अलावा, राज्य में टियर–II और टियर–III शहरों का मिश्रण शामिल है जहाँ कर सलाहकार सेवाओं, डिजिटल बुनियादी ढाँचे और अनुपालन सहायता तक पहुँच व्यापक रूप से भिन्न है ।

आर्थिक दक्षता और कर सरलीकरण के लिए एक सुधारात्मक उपाय के रूप में जीएसटी की केंद्रीय कथा के बावजूद, इसके क्षेत्र–विशिष्ट प्रभाव पर सीमित अनुभवजन्य साक्ष्य हैं, विशेष रूप से मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में। यह एक व्यापक और विश्लेषणात्मक अध्ययन के महत्व को रेखांकित करता है जो इस बात पर केंद्रित है कि जीएसटी अनुपालन जमीनी स्तर पर हितधारकों को कैसे प्रभावित करता है–विशेषकर उन लोगों को जिनकी अचानक नियामक बदलावों को आत्मसात करने की क्षमता सीमित है।

I>ko %&

1. डिजिटल प्रशिक्षण : कर्मचारियों को सेवा कर पोर्टल और ई–इनवॉइसिंग की ट्रेनिंग दें।
2. स्वचालन : अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करें ताकि रिटर्न दाखिल करना आसान हो।
3. कैश फ्लो प्रबंधन : रिफंड में देरी को ध्यान में रखते हुए नकदी आरक्षित रखें।
4. नियम अपडेट पर नज़र : जीएसटी परिषद की अधिसूचनाओं को नियमित रूप से देखें।
5. पेशेवर सलाह : टैक्स कंसल्टेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद लें।

ळैज् ने लघु उद्योगों में उपभोक्ता अनुपालन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 8, March 2026
Impact Factor: 8.2

fu"d"k %&

पारदर्शिता, डिजिटलाइजेशन और जागरूकता बढ़ी। हालांकि, छोटे व्यवसायों के लिए अनुपालन की जटिलता और लागत एक चुनौती बनी हुई है। कुल मिलाकर, सेवा कर ने एक संगठित, पारदर्शी और उपभोक्ता–अनुकूल कर प्रणाली स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन लघु उद्योगों के लिए इसे और सरल बनाने की आवश्यकता है। सेवा कर लागू होने के बाद बिलिंग और टैक्स भुगतान की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी हुई है। उपभोक्ताओं को सही बिल मिलने लगा। टैक्स चोरी की संभावना कम हुई। इससे उपभोक्ता अनुपालन बेहतर हुआ सेवा कर प्रणाली पूरी तरह ऑनलाइन है (रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, भुगतान)। उपभोक्ता और व्यवसाय दोनों डिजिटल माध्यम अपनाने लगं। ई–इनवॉइस और ई–वे बिल से निगरानी आसान हुई। अनुपालन का स्तर बढ़ा, लेकिन शुरुआती कठिनाइयाँ भी आईं। छोटे व्यवसायों को बार–बार रिटर्न फाइल करना पड़ता है। तकनीकी ज्ञान और संसाधनों की कमी से कठिनाई होती है। इससे कुछ मामलों में अनुपालन लागत बढ़ी।

InHk Ikr %&

- जीएसटी अनुपालन और कानूनी ढॉचे पर टैक्समैन प्रकाशन : भारतीय उद्योग परिसंग नई दिल्ली
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम और जीएसटी पर भारतीय उद्योग पर प्रभाव
- अप्रतयक्ष कराधान और आर्थिक सुधर पर ओईसीडी की रिपोर्ट 2022
- कर प्रौद्योगिकी और अनुपालन पर अन्र्स्ट एंड यंग इंडिया की रिपोर्ट 2023
- साहू, प्रभाकर जीएसटी : अंतराष्ट्रीय अनुभव, योजना नवम्बर 2016
- चक्रवर्ती, मालिनी : भारतीय कर प्रणाली, प्रगतिशीलता की ओर योजना नवम्बर 2016
- अशोक, टी.एन. : कर सुधार अतीत, वर्तमाान व भविष्य : योजना नवम्बर 2016